

प्रेषक,

निदेशक मत्स्य,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

- 1-सहायक निदेशक मत्स्य/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
मत्स्य पालक विकास अभिकरण, मथुरा।
- 2- उप निदेशक मत्स्य,
आगरा।

पत्रांक:- /नि0शा0/रा0कृ0वि0यो0/2021-22 दिनांक- 19 अगस्त, 2021

विषय:- राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-83 में वित्तीय वर्ष 2021-22 में New pond construction with shrimp culture In Agra and Aligarh Division की परियोजना में बजट आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक मत्स्य, उत्तर प्रदेश के आदेश संख्या 1136/नि0शा0/रा0कृ0 वि0यो0 दिनांक 05.08.2021 एवं उत्तर प्रदेश शासन कृषि अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या 873/12-3-2021-100(66)/2017 टी0सी0 दि0 27.07.2021 के द्वारा New pond construction with shrimp culture In Agra and Aligarh Division हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय व्ययक प्राविधान के सापेक्ष अवमुक्त कुल धनराशि रु0 18.00 लाख संलग्न विवरण के अनुसार व्यय किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

1. अवमुक्त की जा रही धनराशि का अग्रिम आहरण किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। अग्रिम आहरण करने पर स्वयं आहरण वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे।
 2. अवमुक्त की जा रही धनराशि डायरेक्ट बेनिफीशरी ट्रांसफर (डी0बी0टी0) के माध्यम से व्यय की जायेगी।
 3. परियोजनान्तर्गत व्यय की जाने वाली धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर निदेशक मत्स्य, उत्तर प्रदेश लखनऊ को उपलब्ध कराया जायेगा।
 4. अवमुक्त धनराशि का उपयोग शासनादेश संख्या 873/12-3-2021-100(66)/2017 टी0सी0 दि0 27.07.202 के प्रस्तर-2 से 11 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 5. उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83, लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-02-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, 0206-मत्स्य पालन की योजनायें, 27-सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।
 6. उक्त बजट नियोजन शाखा के बजट आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या (39) पर अंकित है।
- संलग्नक- यथोपरि।

भवदीया

(पूजा रमन)

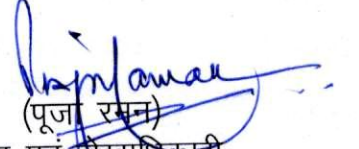
वित्त एवं लेखाधिकारी,
मत्स्य निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक:- 12041 /नि0शा0/रा0कृ0वि0यो0/2021-22 उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सम्बन्धित कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
2. कृषि निदेशक/नोडल अधिकारी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, कृषि भवन लखनऊ।
3. अनुसचिव कृषि अनुभाग-3 को शासनादेश संख्या 873/12-3-2021-100(66)/2017 टी0सी0 दि0 27.07.202 के सन्दर्भ में।

4. अनुसचिव मत्स्य उत्पादन अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
5. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
6. वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, प्रथम तल, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. कोषागार निदेशालय, उत्तर प्रदेश दसवां तल, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. श्री अंशुमान सिंह, वेब आफिसर, मुख्यालय विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
9. गार्ड फाइल में रखने हेतु।



(पूजा रमन)
वित्त एवं लेखाधिकारी,
मत्स्य निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

Print Report

Allotment Grid Report

वित्तीयवर्ष:-2021-2022

आवंटनदिनांक-06/08/2021

प्रेषणसंख्या:- 1
आवंटनआदेशसंख्या:- 001-NEW PONDS CONSTRUCTION RKVY 6-8-2021
अनुदानसंख्या:- 83 समाजकल्याणविभाग(अनुसूचितजातियोंकेलियेविशेषघटकयोजना)(वित्तीयवर्ष 2021-2022 काआवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2401 - फसलकृषिकर्म(आयोजनेत्तर-मतदेय)
789 - अनुसूचितजातियोंकेलिएविशेषघटकयोजना
02 -
06 - मत्स्यपालनकीयोजनायें (के.60/रा.40-के.+रा.)

(धनराशिरु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपदकानाम		27-सब्सिडी	योग
	मथुरा-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1080000 1447200	1080000 1447200
	योग	वर्तमान प्रगामी	1080000 1447200	1080000 1447200

महायोग- (वर्तमानआवंटन):- रूपया दसलाखअस्सीहजार
महायोग- (प्रगामीआवंटन):- रूपया चौदहलाखसैंतालीसहजारदोसौ


(पूजारीमहाराज)
वित्तएवंलेखाधिकारी